भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ: आईआईडीए/एसयूआर/जीडीएल/एमआईएससी/068/03/2021 — 31 मार्च, 2021
Ref: IRDA/SUR/GDL/MISC/068/03/2021 — 31st March, 2021

परिपत्र
CIRCULAR

सभी लाइसेंसधारी सर्वेक्षकों और हानि आंकलनकर्ताओं को
To All Licensed Surveyors and Loss Assessors

विषय: सभी सर्वेक्षकों और हानि आंकनकर्ताओं के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए दिशा-निर्देश
Sub: Guidelines for Practical Training for Surveyors and Loss Assessors

I. प्राथमिक / Preliminary

ये दिशा-निर्देश, सर्वेक्षकों और हानि आंकनकर्ताओ के लिए सर्वेक्षक और हानि आंकनकर्ता के रूप में काम करने के लिए नया/नवीकृत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु दिशा-निर्देशों के संबंध में संदर्भ परिपत्र संदर्भ. आईआरडीए/एसयूआर/जीडीएल/एमआईएससी/288/12/2020 दिनांकित 01/12/2020 को आगे बढ़ाने के लिए जारी किये गये हैं।
ये दिशा-निर्देश आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 के अनुसार और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा सर्वेक्षक और हानि आंकलनकर्ता) विनियम 2015 के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।
These guidelines are issued in furtherance to the Circular vide Ref: IRDA/SUR/GDL/MISC/288/12/2020 dated 01/12/2020 on Guidelines for Practical Training for Surveyors and Loss Assessors for obtaining fresh / renewal licence to act as a surveyor and loss assessor.
These guidelines are being issued in terms of Sec.14 of IRDAI Act, 1999 and in terms of Regulation 3(2)(b) and (c) of Insurance Regulatory and Development Authority of India (Insurance Surveyors and Loss Assessors) Regulations, 2015.

II. सांस्थानिक व्यावहारिक प्रशिक्षण:
II. Institutional Practical training:

क) नेशनल इंश्योरेन्स एकेडमी (एनआईए) या भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) के पास दो महीने का सांस्थानिक व्यावहारिक प्रशिक्षण। इसमें निम्नलिखित शामिल होगा लेकिन उसी तक सीमित नहीं होगा:
a) Institutional Practical training for Two Months with National Insurance Academy (NIA) or Insurance Institute of India (III). This should include but not limited to the following:

(i) विभिन्न किस्म की पालिसियों, पृष्ठांकनों, बीमा में इस्तेमाल होने वाली विभिन्न शब्दावलियों और दावों के प्रकार से परिचय;
Introduction to different types of policies, endorsements, various terminologies used in insurance, and nature of claims;

(ii) बीमाकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में व्यावहारिक मामलों की जाँच करने के लिए औद्योगिक स्थलों और कार्य-क्षेत्रों का निरीक्षण करना;
Industrial and field visits to examine practical cases in co-ordination with insurers and other stakeholders;

(iii) जोखिमों और हानियों का आंकलन करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी, उन्नत तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करना;
Use of technology, advanced techniques and tools available for assessment of risks and losses;

(iv) तथ्यों की प्रस्तुति सहित रिपोर्ट, पालिसी और दावों की स्वीकार्यता के नियम व शर्तें संक्षेप में और सही ढंग से लिखना और विनियामक शर्तों का अनुपालन करते हुए समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का महत्व;
Report writing including presentation of the facts, terms and conditions of the policy and admissibility of claims in a precise and accurate manner and importance of timely submission of reports in compliance with regulatory requirements;

(v) हानि के आंकलन की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान पालिसीधारकों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करने के लिए अपेक्षित आचार संहिता
Code of Conduct required for treating policyholders fairly during the entire process of assessment of loss.

ख) अतिरिक्त विभाग: पात्रता के मानदण्डों को पूरा करने की शर्त पर उपरोक्त कार्यक्रम के दौरान कोई व्यक्ति तीन विभागों के लिए नामांकन कर सकता है। प्रत्येक अतिरिक्त विभाग के लिए, संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, आवेदनकर्ता को दो सप्ताह की अवधि के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण से गुजरना होगा।
b) Additional departments: A person can enroll for upto three departments during the aforesaid programme subject to meeting the eligibility criteria. For each of the additional departments, after passing the relevant examination, the applicant has to undergo practical training for a period of 2 weeks.

ग) संस्थान को प्रतिव्यक्ति देय शुल्क, जैसा भी मामला हो, आईआईआई या एनआईए द्वारा जो निर्धारित किया गया है।
c) The fee per person payable to institution is as specified by III or NIA, as the case may be.

III. संबंधित विभाग में 8 वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रत्येक अनुभवी सर्वेक्षणकर्ता के साथ छः महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण:
Practical training of Six Months with Individual Experienced Surveyors having 8 years of experience in the concerned department:

क) सांस्थानिक प्रशिक्षण के अन्तर्गत पाठ्यक्रम वही होगा जो परिच्छेद II (क) में उल्लिखित है।
a) The curriculum remains the same as mentioned at para II(a) under the institutional training.

ख) पात्रता-मानदण्ड को पूरा करने वाले आवेदनकर्ताओं को नामांकन के समय अधिकतम तीन विभागों की अनुमति दी जाएगी।
b) For the applicants, a maximum of three departments are allowed at the time of enrolment subject to meeting the eligibility criteria.

ग) अतिरिक्त विभाग: संबंधित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आवेदनकर्ताओं को, प्रत्येक अतिरिक्त विभाग के लिए, लाइसेंसधारी और व्यापार के क्षेत्र में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव रखने वाले अनुभवी सर्वेक्षणकर्ता के साथ आठ सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करना होगा।

c) Additional departments: After passing the relevant examination, the applicants have to complete training for each additional department for a period of 8 weeks with the experienced surveyor having licence and at least eight years of experience in that line of business.

घ) पेशेवर विकास के प्रति आचार संहिता के एक अंग के रूप में अनुभवी सर्वेक्षणकर्ता द्वारा निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा।

d) The training shall be imparted by an experienced surveyor as a part of code of conduct towards professional development by surveyors without charging any fee.

IV. प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद, आवेदनकर्ता को एनआईए या आईआईआई द्वारा आयोजित अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा और लाइसेंस जारी करने या नवीकरण के लिए प्रशिक्षण मूल्यांकन सह समापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है।

After completion of the training, the applicant has to pass the Final practical test conducted by NIA or III and submit the *training evaluation cum completion certificate* for issue or renewal of license

V. यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया गया है।

This is issued with the approval of the Competent Authority.

(सुरेश माथुर / Suresh Mathur)
कार्यकारी निदेशक / Executive Director